राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

"मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना"

प्रस्तावना

माननीय मुख्यमत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 की बजट घोषणा में पथ विक्रेताओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रो में जरूरतमन्द एवं असहाय परिवारो के उत्थान के उद्देश्य से **"मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना"** आरम्भ करने की घोषणा की गई है। उक्त बजट घोषणा के क्रियान्वयन में राज्य के शहरी निकाय क्षेत्रों में **"मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना"** लागू की जा रही है, जिससे उनके कार्यक्षेत्रों में वित्तीय सहायता सुगमता पूर्वक प्राप्त होने से वह अपने कार्यों में वृद्धि कर, जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगे।

योजना का उद्देश्य

- शहरी क्षेत्र के जरूरतमन्द एवं असहाय परिवारो को सुलभ ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।
- लघु व्यवसाय और उद्यमों में पूंजी प्रवाह की वृद्धि करना।
- जरूरतमन्द एवं असहाय परिवारो की आत्मनिर्भरता में प्रोत्साहन करना।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

योजना के लाभार्थी –

- जरूरतमन्द एवं असहाय परिवारो से सम्बद्ध असंगठित सेवा क्षेत्र के श्रमिक जैसे गिगवर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर, भवन निर्माण श्रमिक, हॉकर्स, वेस्ट वर्कर, रेग पिकर, दस्तकार आदि; जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं है।
- स्थानीय निकाय, श्रम विभाग, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग अथवा संबधित विभाग द्वारा अनुज्ञा पत्र (Licence) / L.O.R. (Letter of Recommendation) जारी किया हुआ है।

योजना में पात्रता

- आयु सीमा 18 से 60 वर्ष होने के साथ राजस्थान का मूल निवासी हो।
- आवेदक के पास स्थानीय शहरी क्षेत्र का जनाधार कार्ड होना अनिवार्य होगा।
- लाभार्थी के पास कार्य का सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी अनुज्ञा–पत्र हो।

योजना के अन्तर्गत लाभ

- बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 07 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा।
- योजना के लाभार्थियों को तीन चरणों में क्रमशः 10000, 20000 एंव 50000 रूपये का ऋण दिया जावेगा, जिसकी पुर्नभुगतान अवधि क्रमशः 12 माह, 18 माह, एवं 36 माह होगी।

ऋणदात्री संस्थाएं

- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल बैंक।

कुमार पाल गौतम
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

आवेदन प्रक्रिया

- **ऑनलाइन आवेदन**–लाभार्थी अपने जनाधार के माध्यम से एसएसओ पोर्टल/एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता हैं।
- **आवश्यक दस्तावेज**–आवेदन पत्र के साथ जनाधार/आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा व्यवसाय का अनुज्ञा प्रमाण–पत्र आदि संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
- **आवेदन की जांच**–ऑनलाइन आवेदन की जांच के पश्चात, पात्र आवेदनो को नगरीय निकाय द्वारा सम्बन्धित बैंक को ऑनलाइन ही अग्रेषित किया जावेगा।
- **ऋण स्वीकृति**– सम्बन्धित बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा निकाय द्वारा अग्रेषित दस्तावेज़ों की जाँच उपरान्त नियत अवधि में ऋण स्वीकृत एवं वितरण किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्तरों पर आवेदक को एसएमएस के माध्यम से आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जावेगा।

ऋण वितरण एवं पुनर्भुगतान प्रक्रिया

- ऋण कार्यशील पूंजी मांग ऋण (Working Capital Demand Loan) के रूप में होगा।
- बैंको द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध कराये जाने वाला ऋण पूर्णतया Collateral-free होगा।
- ऋण राशि का वितरण दो सप्ताह की अवधि में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा।
- समय पर भुगतान न करने की स्थिति में, ऋण की वापसी हेतु विलम्ब/पैनल्टी शुल्क बैंकिंग नियमानुसार लिया जावेगा।
- ऋण धारक द्वारा ऋण प्राप्ति की तिथि से छः माह पश्चात ही ऋण का पूर्ण भुगतान करते हुए खाते को बंद करवाया जा सकेगा।

ब्याज अनुदान

- लाभार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में ऋण का भुगतान करने पर राज्य सरकार द्वारा ऋण पर 07 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा जो प्रत्येक 06 माह मे बैक द्वारा मांग करने पर सीधे ही लाभार्थी के ऋण खाते में हस्तान्तरित किया जावेगा।
- ऋणदाता बैंक वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशो के अनुसार केवल नॉन एन.पी.ए. व दावे की अवधि में प्रचलित लाभार्थियों के खातों के ही ब्याज अनुदान दावें प्रस्तुत करेगा, तथा इन्ही पर ब्याज अनुदान देने बाबत राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।
- लाभार्थी को सब्सिडी का लाभ तभी मिलेगा, जब किश्तो का पुर्नभुगतान निर्धारित समयावधि में किया जाएगा।

बैंक गारण्टी

- योजना में स्वीकृत ऋणो, को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारण्टी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) द्वारा संचालित किये जाने के लिए ग्रेडेड गारंटी सुरक्षा की व्यवस्था है, जो कि पोर्टफोलियो स्तर पर संचालित होगी, जो निम्नानुसार है:–

	Fresh 1st Loan		Fresh 2nd Loan		Fresh 3rd Loan	
	Portfolio	Coverage	Portfolio	Coverage	Portfolio	Coverage
First Loss	0 to 7.5%	100%	0 to 3%	100%	0 to 8%	75%
Second Loss	Above 7.5% to 20%	75%	Above 3% to 10%	75%	-	-
Third Loss	Above 20% to 50%	50%	-	-	-	-
Maximum Guarantee Cover	50%		10%		8%	

कुमार पाल गौतम
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

योजना हेतु पोर्टल का निर्माण

- योजना के प्रभावी क्रियान्वन हेतु विभिन्न हित–धारको यथा–आवेदक/स्थानीय निकाय/ऋणदाता बैंको हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान द्वारा एक समेकित आईटी प्लेटफार्म तथा ऐप तैयार किया जावेगा, जिसके माध्यम से योजना की रियल टाइम मोनीटरिंग होने के साथ ही बैंको द्वारा वांछित आवेदक के दस्तावेज एवं ई–सिग्नेचर हेतु ई–स्वनिधि सिस्टम विकसित होगा।

योजना की संचालन एवं निगरानी समिति

- **राज्य स्तर पर –** राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में योजना की नियमित निगरानी/समीक्षा हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा:–

क्र.स.	समिति के सदस्य	
1	प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	अध्यक्ष
2	निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
3	प्रतिनिधि, वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रतिनिधि, श्रम विभाग	सदस्य
5	प्रतिनिधि, उद्योग विभाग	सदस्य
6	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
7	परियोजना निदेशक, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य सचिव

- **जिला स्तर पर –** ऋण आवेदनों का अधिकारिक रूप से निस्तारण एवं स्कीम के क्रियान्वयन की समुचित मॉनिटरिंग करने हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा, जिसकी प्रत्येक तिमाही में बैठकें आयोजित होगी:–

क्र.स.	समिति के सदस्य	
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	आयुक्त सम्बन्धित जिला स्तरीय नगरीय निकाय	सदस्य सचिव
3	प्रधान जिला प्रबन्धक (LDM), बैंक	सदस्य
4	प्रतिनिधि, श्रम विभाग	सदस्य
5	प्रतिनिधि जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
6	आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त सम्बन्धित जिले की नगरीय निकाय	सदस्य

(कुमार पाल गौतम)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

कुमार पाल गौतम
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
स्वायत्त शासन विभाग